21.03.24 पत्रावली पेश। वकील वादी एवं पेशकार राज. उप.। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर वादी का वाद पत्र स्वीकार करने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2024.05.23 10:32:40 IST
Reason: SelfAttested

(मनोज कुमार मीणा)
R.A.S.